श्री सतीश कुमार सिंह, माननीय स॰वि॰स॰ से प्राप्त प्रतिहस्ताक्षरित याचिका सं॰-485/26 का उत्तर प्रतिवेदन

प्रश्न	उत्तर
कैमूर जिला अंतर्गत 2010-10 में 92.00 करोड़ रूपये की लागत से 42.00 कि॰मी॰ तक कर्मनाशा मुख्य नहर का पक्कीकरण के लिए दो साल के लिए टेंडर हुआ था, लेकिन लगभग 05 वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य आधा-अधुरा हुआ है। उसमें भी दरारें हो गयी, इसके बाद भी सिंचाई विभाग के अधिकारी ने संवेदक को आधा राशि का भुगतान कर दिया गया है। रूईया माईनर का भी स्थिति यही है। उक्त कार्य में विभाग के अधिकारी एवं संवेदक द्वारा घोर अनियमितताएँ बरती गयी है, जो मानक के अनुरूप कार्य नहीं होने से उसमें भी दरारें आ गयी है। इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को कई बार पत्र लिखा, लेकिन अभी तक संवेदक एवं विभाग के अधिकारी पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। याचिका के माध्यम से उक्त नहर का पूरे प्रकरण को पटना के उच्च पदाधिकारियों द्वारा जाँच कराने की याचना करते है।	वस्तुस्थिति यह है कि :- • कैमूर जिला अन्तर्गत कर्मनाशा मुख्य नहर विस्तार एवं कुल्हड़िया वितरणी का पुनर्स्थापन एवं लाईनिंग कार्य दिनांक 23.03.2018 को प्रारंभ किया गया। इस योजना अन्तर्गत कर्मनाशा मुख्य नहर, कर्मनाशा मुख्य नहर विस्तार, रूईया वितरणी एवं कुल्हडिया वितरणी में पुनर्स्थापन एवं पी॰सी॰सी॰ लाईनिंग कार्य कराये जाने का प्रावधान है। • वर्तमान में योजना की भौतिक प्रगति 61.10 प्रतिशत है एवं वितीय प्रगति 58.26 प्रतिशत है। कर्मनाशा मुख्य नहर एवं रूईया माईनर में कराये गए पी॰सी॰सी॰ लाईनिंग कार्य में क्षैतिज दरारें आने के कारण कार्य की प्रगति प्रभावित हुई है। • लाईनिंग कार्य में दरार पड़ने पर उक्त कार्य की जाँच विभागीय उड़नदस्ता संगठन, पटना एवं NIT Patna से करायी गयी। विभागीय उड़नदस्ता संगठन से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में संबंधित अभियंताओं के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है। वर्ष 2022 में संवेदक को डिबार भी किया गया है। • कार्यों की गुणवता एवं अवशेष कार्यों के कार्यान्वयन निमित IIT Patna से जाँच कराया जा रहा है। जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–02–42/2026 पटना/दिनांक :.........................

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना के पत्रांक–396 दिनांक–13.04.2026 के आलोक में याचिका सं0–485/26 का अनुमोदित उत्तर प्रतिवेदन पाँच प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–02–42/2026 पटना/दिनांक :.........................

प्रतिलिपिः– उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–02–42/2026 पटना/दिनांक :.........................

प्रतिलिपिः– अधीक्षण अभियंता, यो0 एवं मो0 अंचल–03, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक :– 26/वि0स0–02–42/2026 3059 पटना/दिनांक :4/6/26

प्रतिलिपिः– प्रशाखा पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–17, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना एवं कार्यपालक अभियंता, आई0टी0 सेन्टर, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3/6/26

(अनिल कुमार पाण्डेय)
सरकार के उप सचिव